LALITPUR POLICE

प्रेस नोट

दिनांक-28.06.2024

थाना कोतवाली पुलिस, स्वाट टीम व सर्विलांस व साइबर थाने की संयुक्त टीम द्वारा स्वयं का झूठा अपहरण कर 30 लाख रूपये की फिरौती मांगने , फिरौती न मिलने पर अपहर्त की हत्या कर देने की झूठी सूचना देने वाली घटना का सफल अनावरण कर चारों अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के निर्देश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक महोदय के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभय नारायण राय के निकट पर्यवेक्षण थाना कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम व सर्विलांस व साइबर थाने की संयुक्त टीम द्वारा स्वयं का अपहरण कर 30 लाख रूपये की फिरौती मांगने तथा फिरौती न मिलने पर हत्या कर देने की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्तगण 1. मनोज कुमार पुत्र सुन्दरलाल कुशवाहा उम्र 33वर्ष निवासी ग्राम खांदी मुहल्ला रानीपुरा थाना तालबेहट जनपद ललितपुर 2-भगवानदास पुत्र हरलाल निवासी मडवारी थाना कोतवाली जनपद ललितपुर उम्र- 27 वर्ष 3- मंगल पुत्र कल्याण निवासी बिरारी थाना कोतवाली ललितपुर उम्र 22 वर्ष 4-हिम्मत सिंह परिहार पुत्र लाखन सिंह निवासी बिरारी थाना कोतवाली ललितपुर उम्र 43 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर राजघाट अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति द्वार के पास जंगल मे बने छोटे से मंदिर के पास से गिरफ्तार कर मु.अ.सं.-519/2024 धारा- 364ए/120बी भादवि सपठित धारा 116 IPC में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का विवरण- वादिया श्रीमती कमलेश पत्नी मनोज निवासी खांदी मजरा रानीपुर थाना तालबेहट जनपद ललितपुर द्वारा दिनांक दिनांक 25.06.2024 थाने पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के पति का अहमदाबाद (गुजरात) से अपहरण कर हुण्डई कार सहित ले जाना व फिरौती के लिए 30 लाख रुपये की मांग करना, फिरौती के रुपये न देने पर वादिया के पति को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी ।

सूचना के आधार पर थाना कोतवाली में दिनांक 25.06.2024 को मु0अ0स0 519/2024 धारा 364ए IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया। अपहृत की सकुशल बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया है।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की बरमदगी हेतु क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में चार टीमे स्वाट टीम, साइबर, सर्विलांस व थाना स्तर से गठित की गयी है। अपहर्त के मोबाइल का सर्विलांस के माध्यम से विश्लेशण किया गया। सर्विलांस से प्राप्त साक्ष्यों व वादिया व परिवारीजनो से घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो के द्वारा घटना के सम्बन्ध में जो बातें बतायी गयी है ,उसमें भिन्नता पायी गयी थी। किन्तु फिर भी घटना की गम्भीरता को देखते हुये मुकदमा उपरोक्त की विवेचना करते हुए गहनता से जाँच की गयी तो गठित टीम द्वारा अभियुक्त मनोज को स्वयं के अपहरण की साजिश रचने व अपहरण की साजिश में शामिल अन्य अभियुक्तों भगवान दास, मगंल व हिम्मत अपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

पूछतांछ का विवरण- अभियुक्त मनोज कुमार उपरोक्त ने बताया कि साहब मैने वर्ष 2018 मे प्रकृति रक्षक निधि लिमिटेड नामक चिट फण्ड सोसाइटी खोला जिसका मै सी.एम.डी. था। मेरी पत्नी श्रीमती कमलेश कुमारी उर्फ निधि तथा मेरा भाई दिनेश कुमार सदस्य थे। मैने भगवानदास, मंगल को कम्पनी मे ऐजेन्ट बनाया था, बाद मे भगवान दास को ललितपुर का बैंक मैनेजर बनाया था। मेरी कम्पनी मे ललितपुर के काफी लोगो का लगभग 2.5 से 3 करोड़ रूपये जमा था। इसी रूपये से मैने अपनी पत्नी के नाम पर बांसी में लगभग 82 डि0मि0 जमीन व अन्य सम्पत्ति खरीदी थी व अपने भाई के बिजनेश में भी रूपया लगाया था मैने कुछ लोगो का पैसा वापस कर दिया था और कुछ लोगो का पैसा वापस नही किया और कम्पनी बंद कर अपनी पत्नी व बच्चो के साथ इंदौर मे छिप कर रहने लगा। मेरे खिलाफ कई मुकदमे भी लिख गये थे तथा ललितपुर कोर्ट में NI Act का वाद पंजीकृत करवा दिया था । न्यायालय के कडे रूख एवं लाभार्थियो के पैसे वापस न होने से लाभार्थियो के दवाब के कारण मैने अपने साथी 1- भगवानदास 2- मंगल 3- हिम्मत एवं समीर कुशवाहा निवासी कुरौरा थाना महरौनी जनपद ललितपुर के साथ मिलकर योजना बनायी कि मै अपने अपहरण का झूठा नाटक बनाकर वास्तविक स्थिति को अपनी पत्नी से छिपाकर पत्नी से फिरौती हेतु अपहरण का मुकदमा लिखवा देता हूँ। मैने अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि मेरा कुछ लोगो ने अपहरण कर लिया तथा छोडने की एवज मे तीस लाख रूपये की मांग की है। इसके बाद हम लोगो ने मोबाइल को स्विचआँफ कर लिया इसके बाद अपनी माँ व भाई के मोबाइल नम्बर पर वाट्सएप काल कर पैसे के लिये अपहरण होने की बात बता कर पैसे मंगा रहा था जब मेरी माँ व भाई ने फोन उठाना बंद कर दिया तो मैने अपनी पत्नी श्रीमती कमलेश कुमारी को फोन कर बताया कि मेरा किडनैप फिरौती

के लिये भगवानदास, मंगल, हिम्मत एवं समीर ने कर लिया है और तीस लाख रूपये न देने पर यह लोग मेरी हत्या कर देगे। मुझे लगा था कि साहब मेरे अपहरण की खबर सुनकर मेरी पत्नी वह जमीन बेचकर मुझे रूपया दे देगी। साहब हमसे गलती हो गयी है हमे मांफ कर दीजिये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-

1. मनोज कुमार पुत्र सुन्दरलाल कुशवाहा उम्र 33वर्ष निवासी ग्राम खांदी मुहल्ला रानीपुरा थाना तालबेहट जनपद ललितपुर
2-भगवानदास पुत्र हरलाल निवासी मडवारी थाना कोतवाली जनपद ललितपुर उम्र- 27 वर्ष
3- मंगल पुत्र कल्याण निवासी बिरारी थाना कोतवाली ललितपुर उम्र 22 वर्ष
4-हिम्मत सिंह परिहार पुत्र लाखन सिंह निवासी बिरारी थाना कोतवाली ललितपुर उम्र 43 वर्ष

अभि0 मनोज का आपराधिक इतिहास
1.मु0अ0सं0 351/23 धारा 120बी/406 भादवि थाना कोतवाली जनपद ललितपुर
2. मु0अ0सं0 284/2021 धारा 323/406/420/504/506 भादवि थाना तालबेहट जनपद ललितपुर
3. मु0अ0सं0 397/22 धारा 120बी/406/420/467/468/471 भादवि थाना तालबेहट जनपद ललितपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1- निरीक्षक जनार्दन यादव थान कोतवाली ललितपुर
2- उ0नि0 ओमबाबू तिवारी चौकी प्रभारी राजघाट थाना कोतवाली ललितपुर
3- उ0नि0 रामशंकर वर्मा चौकी राजघाट थाना कोववाली ललितपुर
4- उ0नि रूप सिंह थाना कोतवाली ललितपुर
5- का0 कान्ता प्रसाद थाना कोतवाली ललितपुर
6- का0 रितिक सचान थाना कोतवाली ललितपुर
7- श्री राहुल राठौर मय स्वाट टीम
8- श्री सावेज खान साइबर थाना मय टीम
9- सर्विलासं टीम

नोट- अनावरण करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25000/- रू की धनराशि से पुरूष्कृत कर प्रशिस्त पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।